



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27052026-272909  
CG-DL-E-27052026-272909

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2569]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 26, 2026/ज्येष्ठ 5, 1948

No. 2569]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 26, 2026/JYAISTHA 5, 1948

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मई, 2026

**का.आ. 2661(अ).**— भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 कि उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 3073(अ) तारीख 09.07.2025 जो भारत के असाधारण राजपत्र संख्या 3006 तारीख 10.07.2025 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मैसर्स नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड द्वारा असम राज्य में पारादीप – नुमालीगढ़ कच्चे तेल पाइपलाइन के मध्यम से कच्चे तेल के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने जनता से प्राप्त आक्षेपों को परीक्षण के उपरांत निपटान कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप - धारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 कि उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और भारत सरकार, उक्त अधिनियम कि धारा 6 कि उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह निर्देश देती है कि पाइपलाइने बिछाने के लिए भूमि में उपयोग के अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख को, भारत सरकार में निहित होने के बजाय, पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव करने वाली मैसर्स नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड में निहित होगा और तदुपरि, भूमि में ऐसे उपयोग का अधिकार, इस प्रकार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुये, सभी विलंगमों से मुक्त, मैसर्स नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड में निहित होगा।

### अनुसूची

जिला	सर्कल	मौज़ा	गाँव	दाग नं	क्षेत्रफल		
					हेक्टेअर	आर	वर्ग मीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
सोनितपुर	चारीदुआर	गरैमारी	1 नं मालिजन बगीचा	63	00	30	51
				64	00	16	19
				62	00	39	34
				173	00	08	03
				157	00	08	03
				180	00	10	71
				181	00	10	71
				101	00	07	23
				187	00	12	05
सोनितपुर	चारीदुआर	गरैमारी	खलिहामारी	535	00	06	96
बिस्वनाथ	बिस्वनाथ	बाघमौरा	डेमाजिबारी	24	00	07	18
				26	00	17	91
बिस्वनाथ	हेलेम	हेलेम	हेलेम चाह बगीचा 273/442 नं ग्रांट	688	00	14	80
				672	00	06	74

[फा. सं. आर-11025(14)/1/2020-ओआर-I-भाग(1)/ई-48803]

हरित कुमार शाक्य, अवर सचिव

**MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th May, 2026

**S.O. 2661(E).**— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O.No. 3073(E) dated 09.07.2025, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazette of India No. 3006 dated 10.07.2025, the Government of India declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of crude oil through Paradip – Numaligarh crude oil pipeline in the state of Assam by Numaligarh Refinery Limited (NRL).

And whereas copies of the said Extraordinary Gazette notification were made available to the public.

And whereas the objections received from the public to the laying of the pipeline have been considered and disposed by the Competent Authority.

And whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted its report to the Government of India.

And whereas the Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Government of India hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Government of India hereby directs that the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest, on this date of the publication of the declaration, in the Numaligarh Refinery Limited (NRL), free from all encumbrances.

**SCHEDULE**

District	Circle	Mouza	Name of Village	Dag No.	Area		
					Hectare	Are	Square Metre
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Sonitpur	Chariduar	Garaimari	1 No. Malijan Bagicha	63	00	30	51
				64	00	16	19
				62	00	39	34
				173	00	08	03
				157	00	08	03
				180	00	10	71
				181	00	10	71
				101	00	07	23
			187	00	12	05	
Sonitpur	Chariduar	Garaimari	Khalihamari	535	00	06	96
Biswanath	Biswanath	Baghmora	Dhemajibari	24	00	07	18
				26	00	17	91
Biswanath	Helem	Helem	Helem Chah Bagicha 273/442 Grant	688	00	14	80
			672	00	06	74	

[F. No. R-11025(14)/1/2020-OR-I-Part(1)/E-48803]

HARIT KUMAR SHAKYA, Under Secy.